9 IV 09/11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

जिला कोषागार
सिंगिल लाक से निर्गत
28 DEC 2010

रु. 500

जिला कोषागार
28 DEC 2010

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 207681

न्यास घोषणा पत्र

600

मैं, ममता त्रिपाठी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद निवासी 1370/8, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर संस्थापक एवं प्रबन्ध ट्रस्टी पं0 मुरलीधर त्रिपाठी, पयागीपुर, सुलतानपुर उ0प्र0 (प्रधान कार्यालय) को स्वतंत्र आर्थिक एवं कानूनी व्यवस्था सम्पन्न ट्रस्ट घोषित करती हूँ यह ट्रस्ट बिना किसी जाति लिंग एवं सम्प्रदाय भेद के सार्वजनिक हित में कार्य करेगा और चैरिटेबुल प्रकृति का होगा इस ट्रस्ट मण्डल के निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे।

अ. मैं, ममता त्रिपाठी निवासी–1370/8, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ0प्र0)–प्रधान न्यासी/अध्यक्ष।

ब. सुशील कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम कुमार, निवासी 1370/18, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ0प्र0)–न्यासी।

ब. श्रीमती विमला पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट डुडंवा जमौली, जनपद कानपुर नगर न्यासी।

द. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर त्रिपाठी, निवासी ग्राम व पोस्ट डुडंवा जमौली, जनपद कानपुर नगर (उ0प्र0)–न्यासी

य. कु0 देविका पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी 1370/16, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ0प्र0)–न्यासी

1. इस ट्रस्ट का उद्देश्य धर्मोत्थान, उपासना, ज्ञान विज्ञान से जन साधारण को परिचित कराना नैतिक सदाचार, सद्भावना, सद्विचारों का प्रचार–प्रसार

ह0 ममता त्रिपाठी

1. राजेन्द्र कुमार ... 1370/8 विवेकानन्द नगर सुलतानपुर

1. ... त्रिपाठी ... सुलतानपुर

क्र0 19 रू0 500/ श्रीमती ममता त्रिपाठी पत्नी
त्रिपाठी 1370/8 विवेकानन्द नगर सुल्तानपुर

14-1-2011

कुमार स्टाम्प वेण्डर

सुलतानपुर जिला-सुलतानपुर

उत्तर-प्रदेश

-12-

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 842298

करना। समाज में बालक, बालिकाओं, वृद्ध, अनपढ़ों को शैक्षिक नैतिक चारित्रिक बौद्धिक शारीरिक एवं सामाजिक विकास करना।

2. समाज में बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड एवं भयंकर बीमारियों जैसी दैवी आपदा से पीड़ितों की यथा सम्भव सहायता करना, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

3. शिक्षा जगत के बहुयामी नये नये प्रोग्राम जैसा सरकार द्वारा योजना बनायी जाय का क्रिया नवीनीकरण कराना बच्चों एवं जन–जन को अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू एवं अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

4. ज्ञानवर्धक, हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय एवं छात्रावास आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना, गरीब एवं असहाय बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्युटिशियन फैशन डिजाइनिंग, शिल्प कला, कास्ट कला, दरी–कालीन, टंकण, आशु लिपिक, कम्प्यूटर, बालबाड़ी ऑगनबाड़ी एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

5. केन्द्रीय विद्यालय, सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0, एन0सी0आर0टी0 एवं शिक्षा परिषद् से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करना गांव–गांव में संस्था की शाखाओं का निर्माण करना एवं इन्हें प्रधान कार्यालय से जोड़ना, सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र, पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस एवं कम्प्यूटरीकृत करना, बच्चों को शारीरिक शिक्षा, व्यायाम एवं खेलों का आयोजन करना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना करना एवं मान्यता लेना।

ममता त्रिपाठी

क्र० 20 वर्ष० 20/ रजि० सं० 19

14-1-2011

सुरेश कुमार स्टाम्प वेन्डर
लाइसेंस ... सुल्तानपुर
... 13/124

5,100.00

यास पत्र

न्यास की राशि	60.00	20	80.00	600
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती ममता त्रिपाठी (प्रधान न्यासी/अध्यक्ष) ममता त्रिपाठी
पुत्री श्री जगदीश प्रसाद
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी 1370/8, विवेकानन्दनगर सुलतानपुर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/1/2011 समय 1:15PM
वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी0 के0 सिंह
उप निबंधक सदर
सुल्तानपुर
15/1/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

ममता त्रिपाठी

श्रीमती ममता त्रिपाठी (प्रधान न्यासी/अध्यक्ष)
पुत्री श्री जगदीश प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी 1370/8, विवेकानन्दनगर सुलतानपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री
पुत्र श्री मंगली प्रसाद अग्निहोत्री
पेशा कृषि
निवासी 1370/16 विवेकानन्दनगर सुलतानपुर

व श्री शिवसहाय त्रिपाठी शिवसहाय त्रिपाठी
पुत्र श्री रामप्रकाश त्रिपाठी
पेशा कृषि
निवासी रायमनपुर पर0 मीरानपुर तह0 व जि0 सुलतानपुर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी0 के0 सिंह
उप निबंधक सदर
सुल्तानपुर
15/1/2011

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु. 20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 842299

6. राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक बनाना तथा उनके अन्दर आत्म विश्वास, सदाचार, स्वालम्बन की भावना जागृति करना, राष्ट्र एवं आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि दोषों से अवगत कराकर सुधार करना, राजनैतिक पाखण्ड एवं स्वार्थों को समावेष न होने देना।

7. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं, एजेंन्सियों, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उनके कार्यक्रमों को संचालित करना तथा आर्थिक सहायता के रूप में ऋण/अनुदान प्राप्त करना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं कमीशन, लघु कुटीर उद्योग विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाकर उपयोगी जानकारी देना एवं निःशुल्क संचालन करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विकास के हेतु निःशुल्क शिक्षा का संचालन एवं प्रचार–प्रसार करना पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं जन–जन में जागृति पैदा करना।

8. राष्ट्र के सभी समुदाय के लिए प्राईमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना। सम्बन्धित संस्थाओं के संचालन हेतु मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी प्रबन्धक होंगे तथा अन्य ट्रस्टीगण उस संस्था के सदस्य होंगे अथवा अलग से सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनकी संख्या अधिकतम 11 हो सकती है इन संस्थाओं का हिसाब किताब एवं सम्पत्ति अलग होगी। परन्तु ट्रस्ट से सम्बन्धित रहेंगे।

ममता त्रिपाठी

14-1-2011

Registration No.: 9

न्यासी

Year : 2,011

Book No. : 4

0101 ममता त्रिपाठी (प्रधान न्यासी/अध्यक्ष)

जगदीश प्रसाद

1370/8, विवेकानन्दनगर सुलतानपुर

गृहिणी

४ 47

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 842300

9. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण भी कर सकेगा, जिसमें ट्रस्टी/ट्रस्टीयों के अतिरिक्त अन्य सक्रिय परिजनों एवं कर्मठ नागरिकों का भी समावेष किया जा सकेगा। इन समितियों/उपसमितियों हेतु नियम/उपनियम ट्रस्ट मण्डल के द्वारा बनाये जा सकेंगे। जो पूर्णतः बन्धन कारक होंगे। समितियों एवं उप समितियों को भंग करने अथवा पुर्नगठित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को होगा। ट्रस्ट मण्डल में समितियों/उपसमितियों के निर्माण में कर्मठ उत्साही एवं तेजस्वी कार्यकर्ताओं को समुचित स्थान दिया जायेगा। प्रभारी एवं पदाधिकारी कर्मठ, ईमानदार, तेजस्वी होना चाहिए। ट्रस्टी भी सदस्य के रूप में रह सकते हैं। नियुक्त कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट मण्डल कार्यमुक्त कर सकता है।

10. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गृह उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकेगा एवं इसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा सकेगा। ट्रस्ट अपने उद्योगों से सम्बन्धित उत्पाद एवं निर्मित वस्तुओं का विपणन एवं वितरण विधि सम्मत तरीके से कर सकेगा। इस सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार भी कर सकेगा।

11. ट्रस्ट सामाजिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, वार्षिक उत्सव एवं त्यौहारों को समुचित ढंग से मनाने का प्रबन्ध करेगा। ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन से अनुदान एवं ऋण अथवा चल–अचल सम्पत्ति शासन का सहयोग निःशर्त होने की दशा में प्राप्त कर सकेगा। भूमि इत्यादि अचल सम्पत्ति पर निर्धारित शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा।

८ ममता त्रिपाठी

22 ... 20 ... 19.

14-1-201

सुलतानपुर

-प्रदेश

५

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 840269

12. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, एवार्ड, सिडवी मानव संस्थान विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकारा, सिफ्सा, नावार्ड, सिडनी, बैंक ऑफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउंडेशन, नौशाह, अवाक्स इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्प संख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, विकलांग निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यों में तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण द्वारा सहायता प्राप्त कर ग्रामीणों के कल्याणार्थ कार्य करना एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार एवं संचालन करना।

13. यदि कोई ट्रस्टी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाय, मृत्यु हो जाय, ट्रस्ट मण्डल द्वारा हटा या निकाल दिया जाय, स्वयं त्याग पत्र दे या संस्था को क्षति पहुँचायें या अपराधी प्रवृत्ति का हो तो उसके स्थान पर ट्रस्ट मण्डल नये ईमानदार कर्मठी ट्रस्ट के प्रति समर्पित व्यक्ति को बहुमत से चयनित करेगा। निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्ति की जा सकेगी।

14. ट्रस्ट फण्डः– ट्रस्ट फण्ड के रूप में ट्रस्ट को मु0 5100/– रू0 (पाँच हजार एक सौ रूपये) की राशि ट्रस्ट को प्रदान की गयी है और आशा की जाती है कि यह पूँजी सदैव बढ़ती रहेगी ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों हेतु दान ग्रहण करेंगे। ट्रस्ट फण्ड/सम्पत्ति निम्न प्रकार रहेगीः–

अ. ट्रस्ट फण्ड की अभिबृद्धि एवं बढ़ोत्तरी करना।

(ममता त्रिपाठी)

पृ० 23 नि० 20) शाख नं० 19

14-1-2011

सुलतानपुर

प्रदेश

की मीटिंग में रखा जायेगा। ट्रस्ट की मीटिंग का कोरम आधे से अधिक ट्रस्टियों पर माना जायेगा। ट्रस्ट की मीटिंग मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी की अध्यक्षता में होगी अनुपस्थिति में कोई भी ट्रस्टी अध्यक्षता कर सकता है। निर्णय लेते समय यदि बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। मीटिंग की सूचना एवं कार्यवाही रजिस्टांकित होगी। पारित निर्णय के प्रति समस्त सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत रहेंगे।

ट्रस्ट की मीटिंगः— मीटिंग हर तीसरे माह होगी। मीटिंग की सूचना नियत समय से एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिए। मीटिंग में अन्य व्यक्ति भी आहूति हो सकते हैं। आकस्मिक बैठक को 24 घण्टे पूर्व बुलाया जा सकता है, समितियों एवं उप समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों को भी मीटिंग में आरवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है, परन्तु मताधिकार ट्रस्ट के मुख्य मण्डल को ही होगा। मीटिंग को कोरम दो सदस्यों की उपस्थित से ही मान लिया जायेगा। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो नियत तिथि की मीटिंग नियत समय से एक घण्टे तक स्थगित रखी जायेगी। फिर भी कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग अगली तिथि हेतु स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित मीटिंग के बाद की मीटिंग का कोरम पूरा न हो तो मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी का निर्णय मान्य होगा। वार्षिक मीटिंग वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगी, जिसमें पिछले वर्ष एवं अगले वर्ष की योजनाओं पर विचार होगा।

18. इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश विदेश एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष में कार्य करने एवं प्रचार प्रसार व दान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

19. ममता त्रिपाठी प्रधान न्यासी होगी और प्रबन्ध समिति के कार्यालय का कार्य जीवन पर्यन्त करेंगी। वे अपने जीवनकाल तक अध्यक्ष रहेगी। अपने जीवनकाल में ही भावी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगी। किसी भी मामले में अन्तिम निर्णय पूर्ण रूप से लेने के लिए अधिकारी होगी। ये प्रबन्ध समिति को भंग करके सभी अधिकार, दायित्व अपने हक में कर सकती हैं। अगर यह अपने जीवनकाल में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाती हैं और इनकी आकस्मिक मृत्यु या शारीरिक अक्षमता होने की स्थिति में सुशील कुमार प्रधान न्यायी/अध्यक्ष होंगे तथा आजीवन प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की सारी शक्तियां इनमें निहित हो जायेगी।

20. दो न्यासी की उपस्थिति किसी बैठक में कोरम को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सभी प्रश्नगत मामले एवं उत्पन्न समस्यायें न्यासीगण की सहमति से हल किये जायेंगे परन्तु प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

घोषणा—पत्र

यह कि उपर्युक्त पं0 मुरलीधर त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट, पयागीपुर, सुलतानपुर उ0प्र0 प्रधान कार्यालय के मुख्य ट्रस्टी श्रीमती ममता त्रिपाठी द्वारा आज दिनाँक 15.01.2011 ई0 को घोषणा की जाती है कि मैने उपर्युक्त ट्रस्ट का गठन एवं निर्माण ट्रस्टियों की अनुमति से बिना किसी बाहरी दबाव के स्वस्थचित्त से करके

ममता त्रिपाठी

सुलतानपुर जिला-सुलतानपुर
प्रदेश

(2)

लिपिबद्ध कर दिया और ट्रस्ट के लिए मुबलिक 5100.00 रू0 (पाँच हजार एक सौ रूपये) देकर इस ट्रस्ट की विधिवत् घोषणा किया।

उपरोक्त ट्रस्ट या उससे मिलते जुलते नाम का कोई- अन्य- ट्रस्ट हमारी जानकारी में जनपद में पूर्व में पंजीकृत नहीं हैं यदि कोई ट्रस्ट पाया जाता है तो अपने ट्रस्ट का नाम परिवर्तित कर लूंगी। इस न्याय घोषणा पत्र में अंकित सभी ट्रस्टी सदस्यों का नाम व पता दर्ज मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है सभी लोगों के हस्ताक्षर वर्णित लोगों द्वारा किये गये हैं।

<u>ट्रस्टीगण की स्वीकृत</u>

यह कि पं0 मुरलीधर त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट उपरोक्त के समस्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के संविधान एवं नियमावली के अनुसार कार्य करने हेतु बचनबद्ध हैं एवं ट्रस्टी बनना स्वीकार करते हैं। दिनांक 15.01.2011 न्याय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है।

ममता त्रिपाठी

प्रारूपविदां कर्ता — [illegible] राकेश प्रसाद श्रीवास्तव
ला0नं0एन24/114तह0सदर
ली गई फीस रु0) [illegible] हस्ताक्षर- राकेश प्रसाद श्रीवास्तव

आज दिनांक 15/01/2011 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 45

पृष्ठ सं. 397 से 414 पर क्रमांक 9

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह

उप निबंधक सदर

सुल्तानपुर

15/1/2011

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
Rs.20
TWENTY RUPEES
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 840268

ब. ट्रस्ट फण्ड मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा किया जाएगा।

स. ट्रस्ट फण्ड द्वारा प्राप्त होने वाली सम्पत्ति एवं ट्रस्ट के अधिकार में आने वाले सम्पत्ति।

द. ट्रस्ट को दान, उपहार, अनुदान इत्यादि जो प्राप्त होवे।

य. ट्रस्ट के पास मौजूदा समय में कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है।

15. ट्रस्ट का निवेशः– ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट फण्ड का निवेश बैंकों पो0 आफिस तथा आयकर अधिनियम धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित ट्रस्ट अधिनियमों में यथा संशोधन या परिवर्तन द्वारा निवेश होगा। इस फण्ड का उपयोग ट्रस्ट के फायदे के लिए व चल अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय एवं निर्माण में किया जायेगा।

16. बैंक खाते का संचालनः– खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसमें मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा संचालन होगा।

17. आय व्यय का ब्यौराः– यह ट्रस्ट चैरिटेबुल प्रवृति का है। दान भी ग्रहण करेगा। इसका हिसाब किताब रखना अंति आवश्यक है। हिसाब किताब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगा। कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट का हिसाब अपने पास नहीं रखेगा। ट्रस्ट का हिसाब किताब ट्रस्ट कार्यालय में ही रहेगा। ट्रस्ट का सामान कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेगा। ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति लगाव रखा जायेगा। अनदेखी नहीं की जायेगी। ट्रस्ट की सम्पत्ति का एक रजिस्टर होगा, जो प्रमुख प्रबन्ध ट्रस्टी समय–समय पर प्रमाणित किया। आय–व्यय एवं सम्पत्ति की जॉच पड़ताल ट्रस्ट मण्डल द्वारा नियुक्ति लेखाकार से करायी जायेगी। आय व्यय एवं सम्पत्ति का ब्यौरा ट्रस्ट

ममता त्रिपाठी

ह० 24 अ०20/ 2110 ह० 19 —

14-1-2011

[illegible]

[illegible]

उ० 14/1/11